रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 510] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2, 1972/ अग्रहायण 11, 1894

No. 510] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2, 1972/AGRAHAYANA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November 1972

S.O. 732(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Act, 1961 (45 of 1961), the Central Government, being satisfied that reciprocal provisions have been made, hereby declares Japan, Philippines, United States of America, Tanzania, The Netherlands, Thailand, Sweden and Austria, to be territories to which the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, set forth in the Schedule to the said Act, applies.

[No. F. 11(4)/72-P&P.]

V. S. MISRA, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1972

का० आ० 732(अ) —विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 (1961 का 45) की धारा 2 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान होने पर कि अधिकारी उपबन्ध किए गए हैं, जापान, फिलिपाइन्स, संयुक्त-राज्य अमेरिका, तन्जानिया, निदरलैंडस, थाईलैंड, स्वीडन और आस्ट्रिया, को एतद्द्वारा, ऐसे राज्यक्षेत्रों के रूप में घोषित करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित विदेशी माध्य-स्थम पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन के संबंध में अभिसमय लागू होता है।

[सं० फा० 11(4)/72—पी एंड पी०]

वी० एस० मिश्रा, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972